कार्यालय,नगर पालिक निगम,राजनांदगांव (छ0ग0)

// निविदा सूचना //

क्र.1365/निविदा/लोक–11/2016–17 राजनांदगांव दिनांक29/10/2016

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में निम्न कार्य हेतु छ.ग. शासन के आदेश के तहत केन्द्रीयकृत पंजीयन में सक्षम श्रेणी (द एव अपर श्रेणी)में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग में में लागू (भवन/रोड एस.ओ.आर दिनांक 01.01.2016 एवं विद्युत एस.ओ.आर. दिनांक 01.07.2015 अघतन तथा संशोधन सहित /आयटम) दर के आधार पर फार्म ''ए मुहरबंद निविदायें दो लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/ स्पीड पोष्ट /कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाऊनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेगें।

1 निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22/11/2016 शाम 5.00 बजे तक

2 प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि 25/11/2016 शाम 5.00 बजे तक

कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि लाख में	अमानती राशि (रूपये में)	निविदा फार्म	निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये में)	समयावधि माह
1	2	3	4	5	6	7
1	शासकीय प्रेस चिखली गढुला नाला तक डिवाईडर निर्माण कार्य	14.45	15000.00	ए	750.00	04
2	शासकीय मुद्रणालय चिखली से गढुला नाला तक ट्यूबलर पोल	11.00	11000.00	ए	750.00	03

1. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
2. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट –छांट या अपलेखन मान्य नही किये जावेगें । निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
3. दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा । काट छांट या अपलेखन मान्य नही किये जायेगें
4. नियम व शर्तो की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/ प्राप्त की जा सकती है।

5. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1.00प्रतिशत राशि की कटौति निर्माण कार्य के प्रस्तुत होने वाले देयको से की जावेगी ।
6. छ.ग.शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5--190/18/05 रायपुर दिनांक 19.01.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा

Scanned by CamScanner

दर एवं अनुमानित लागत से 90 प्रतिशत के अंतर की राशि समतुल्य परफामेंस गारंटी के रूप मे जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

7. सफल निविदाकार को निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तावित स्थल का फोटो ग्राप्स, निर्माण कार्य प्रारंभ करने के बाद चल देयक प्रस्तुत करते समय एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्य की स्थिति संबंधी फोटो ग्राप्स प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें वार्ड कमांक एवं कार्य का नाम अंकित हो।

8. उक्त कार्य के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र एवं किये कार्य का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा।
9. आहुत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते है,तो निविदा कार्यवाही अग्रिम कार्य दिवस में संपन्न किये जायेगें। इसके लिये पृथक से सूचना जारी नही किये जायेगें।
10. छत्तीसगढ शासन के पत्र कमांक 243/वि.नि/चार/2013 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राजय में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।
11. सफल निविदाकार को श्रम नियम/अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. सफल निविदाकार के तीन दिनों के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
13. सफल निविदाकार को उपरोक्त शर्तो के अंतर्गत कार्य करना अनिवार्य होगा किसी भी शर्तो के उल्लघन पाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि निगम कोष में राजसात कर ली जावेगी।
14. किसी भी विवाद कि स्थिति मे आयुक्त,नगर निगम,राजनांदगांव निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
15. दर समस्त टैक्स सहित देवें।
16. एल.ई.डी. लाईट की संधारण/वारंटी अवधि 02 वर्ष होगी। कार्य करते समय एवं संधारण अवधि में कोई भी दुर्घटना घटित होने पर समस्त जवाबदार निविदाकार की होगी।
17. अनुमानित लागत एवं प्राक्कलन में उल्लेखित आईटम के संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
18. सामाग्री आई.एस.आई. मार्क का प्रदाय करना होगा।
19. कार्य के आवश्यकतानुसार प्राक्कलन में परिवर्तन किया जा सकता है।
20. केवल वायर का टेस्ट रिर्पाट संलग्न करनाहोगा एवं 02 वर्ष तक किसी भी प्रकार की केवल में खराबी आने पर संधारण की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
21. कुल बिल से अतिरिक्त 5 प्रतिशत परफारमेंश गांरटी के रूप में रोक कर भुगतान किया जावेगा। रोकी गई राशि का भुगतान संधारण/वारंटी अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् किया जावेगा।
22. निर्माण कार्यो के प्रत्येक देयकों से 6 प्रतिशत सुरक्षा निधि की कटौती की जावेगी जिसकी ,जिसकी भुगतान कार्य पूर्ण होने के 03 माह पश्चात की जावेगी।

28/10

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,राजनांदगांव

पृ.क्र. 1366 /निविदा/लोक–11/2016–17 राजनांदगांव दिनांक 28/10/2016

प्रतिलिपिः–
1. माननीय महापौर ,नगर पालिक निगम,राजनांदगांव को सूचनार्थ
2. अध्यक्ष, नगर पालिक निगम,राजनांदगांव को सूचनार्थ
3. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम,राजनांदगांव को सूचनार्थ।
4. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम,राजनांदगांव को सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी,डाटा सेंटर नगर पालिक निगम,राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं विभागीय एवं शासन के वेबसाईड में अपलोड किये जाने बाबत्।
6. कार्यालय ——————————————नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।

28/10

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,राजनांदगांव

Scanned by CamScanner